न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी : हिमांशु गुप्ता आई.ए.एस

राजस्व अपील संख्या 03/2015

अपीलार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
1. हुरमी बेवा तुलछाराम		1. प्राधिकृत अधिकारी, आयुक्त नगरपरिषद, बाड़मेर
2. ओमप्रकाश पुत्र गंगाराम		2. तहसीलदार बाड़मेर
3. दीपाराम पुत्र गंगाराम		
4. मु0 मटकों देवी बेवा गंगाराम जाति मेघवाल निवासी बाड़मेर आगोर तहसील व जिला बाड़मेर		

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 90(ए) उपधारा (9) राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, विरूद्ध आदेश क्रमांक : 01/भूमि/2013/1891 दिनांक 21.08.2013 जो प्राधिकृत अधिकारी, आयुक्त नगर परिषद बाड़मेर द्वारा अपीलार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 2065 दिनांक 38–07 बीघा हेतु पारित किया गया एवं उसके आधार पर नामान्तरकरण सं. 2951 पारित किया।

उपस्थितिः–

1. श्री भाखराराम गोदारा, अधिवक्ता अपीलार्थीगण की ओर से उपस्थित ।
2. श्री जसवन्त बोहरा, अधिवक्ता, रेस्पो. सं. 1 की ओर से उपस्थित ।
3. राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 2 की ओर से उपस्थित।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

निर्णय

दिनांक :– 27.08.2019

1. प्रस्तुत प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त मे यह हैं कि प्रशासन शहरों के संग अभियान–2012 के दौरान राज्य सरकार की अधिसूचना 2012 कृषि भूमि का गैर कृषिक प्रयोजनार्थ उपयोग किये जाने की अनुज्ञा आवंटन नियमन 2012 के तहत राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90ए की उपधारा (4) के साथ पठित राजस्थान नगरीय क्षेत्र की कृषि भूमि का गैर कृषिक प्रयोजनार्थ के अन्तर्गत स्वप्रेरणा से ग्राम बाड़मेर आगोर के खसरा नम्बर 2065 की भूमि का पर्यवसन कर प्राधिकृत अधिकारी एवं

जिला कलक्टर
बाड़मेर

आयुक्त नगर परिषद बाड़मेर ने उक्त भूमि का राजस्व रेकर्ड मे नामान्तरकरण नगर परिषद बाड़मेर के नाम करने का निवेदन किया। इस पर तहसीलदार बाड़मेर द्वारा नामान्तरकरण सं. 2951 पारित कर भूमि नगर परिषद बाड़मेर के नाम दर्ज कर दी गई। प्राधिकृत अधिकारी एवं आयुक्त नगर परिषद बाड़मेर के आदेश दिनांक 21.08.2013 एवं उसके आधार पर तहसीलदार बाड़मेर द्वारा पारित नामान्तरकरण के विरूद्ध अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील धारा 90(ए) की उपधारा (9) राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 22.01.2015 को प्रस्तुत की गई हैं। अपील के साथ ही धारा 5 मयाद अधिनियम के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने मे हुए विलम्ब को क्षमा करने का निवेदन किया गया।

2. हमने दोनो पक्षों के योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी । दौरान सुनवाई अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता ने निवेदन किया कि विवादित भूमि अपीलार्थीगण के नाम से खातेदारी मे दर्ज थी जिसका अपीलार्थीगण के द्वारा कभी अकृषिक प्रयोजनार्थ उपयोग व उपभोग नहीं किया गया है तथा मौके पर उक्त भूमि खाली पड़ी हैं। रेस्पोडेंट सं. 1 प्राधिकृत अधिकारी एवं आयुक्त, नगर परिषद बाड़मेर ने अपीलार्थीगण की उक्त कदीमी कब्जा–काश्त की खातेदारी भूमि को बिना किसी अधिकार के अपने क्षेत्राधिकार से परे जाकर अवैध अपीलाधीन आदेश पारित किया गया हैं तथा तहसीलदार बाड़मेर द्वारा भी बिना भूमि के मौके की जांच किये ही नामान्तरकरण पारित किया गया हैं जो उक्त दोनो ही आदेश पारित करने मे भारी कानूनी तथ्यों की भूल की हैं। इस आधार पर अपीलाधीन आदेश काबिल निरस्त हैं

3. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया कि खसरा नम्बर 2065 के खातेदार गंगाराम पुत्र तुलछाराम ने अपने 1/2 हिस्से में से जरिये रजिस्ट्री दिनांक 30.09.09 को 1–00 बीघा भूमि किसनाराम पुत्र खींयाराम जाति मेघवाल निवासी मेघवालों की ढाणी दूदासर तहसील गुड़ामालानी को बेचान किया। इसी प्रकार रजिस्ट्री दिनांक 16.03.2010 के द्वारा 6–00 बीघा भूमि दमाराम पुत्र भैराराम जाति मेघवाल निवासी बांकाणियों का बास, कुड़ला तहसील बाड़मेर को बेचान की गई। इसके पश्चात उक्त खातेदार गंगाराम के फोत हो जाने पर अपीलार्थीगण ने

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

जिला कलक्टर
बाड़मेर

उक्त खसरा की शेष 31–07 बीघा भूमि अपने नाम करने हेतु हल्का पटवारी से सम्पर्क किया तो ज्ञात हुआ कि सम्पूर्ण खसरा की भूमि नगर परिषद बाड़मेर के नाम दर्ज हो गई हैं। इस पर तहसील कार्यालय बाड़मेर से इस संबंध मे नकलें प्राप्त की तो आयुक्त नगर परिषद बाड़मेर के अपीलाधीन आदेश की जानकारी हुई तथा जानकारी होने से अन्दर मयाद यह अपील प्रस्तुत की जा रही हैं। राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 90ए के तहत कार्यवाही प्रार्थीगण के आवेदन पर या भूमि के गैर कृषि कार्य में प्रयुक्त होने पर की जाती है जबकि अपीलार्थीगण की उक्त भूमि पर अपीलार्थीगण का ही पुश्तैनी कदीमी कब्जा–काश्त चला आ रहा है। इस वर्ष भी हर वर्ष की भांति सावणू फसल बाजरी, मूंग, मोठ, ग्वार की फसलें अपीलार्थीगण द्वारा बोई गई है और प्राप्त की गई हैं। अपीलार्थीगण के द्वारा उक्त भूमि का किसी भी रूप मे अकृषिक प्रयोजन में नहीं लिया गया हैं। इस न्यायालय की ओर से तहसीलदार बाड़मेर से तलब की गई मौका कब्जा रिपोर्ट मे भी अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग लेने का तथ्य सामने नहीं आया है व मौके पर भूमि खाली होना दर्शाया गया हैं। इस आधार पर अपीलाधीन आदेश विधि एवं तथ्यों की भूल से पारित होने से निरस्त योग्य हैं। अतः अपीलार्थीगण की यह अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन दोनो ही आदेश निरस्त किये जाकर वादग्रस्त भूमि पुनः अपीलार्थीगण की खातेदारी मे दर्ज किये जाने का आदेश फरमावें।

4. अप्रार्थी सं. 1 व 2 के योग्य अधिवक्तागण ने जवाब में यह निवेदन किया कि प्रशासन शहरों के संग अभियान के दौरान राज्य सरकार की अधिसूचना 2012 कृषि भूमि का अकृषिक प्रयोजनार्थ उपयोग किये जाने की अनुज्ञा आवंटन नियम 2012 के तहत आयुक्त नगर परिषद बाड़मेर द्वारा नगरीय योग्य सीमा मे आने वाली कॉलोनियों जिनमे कृषि भूमि का गैर कृषि प्रयोजनार्थ उपयोग दिनांक 17.06.1999 से पूर्व अथवा उसके पश्चात किया जा रहा है का प्लान अनुमोदन करवाकर, राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 90ए के तहत स्वप्रेरणा से प्रकरण तैयार कर सार्वजनिक नोटिस का समाचार पत्रों मे प्रकाशन किया तथा निर्धारित अवधि मे किसी प्रकार की उजरदारियां प्रस्तुत नहीं होने पर भूमि के खातेदारान की खातेदारी अधिकारों का पर्यावसान कर भूमि नगर परिषद बाड़मेर के नाम दर्ज करने हेतु

जिला कलक्टर
बाड़मेर

तहसीलदार बाड़मेर को निवेदन किया गया। इस पर तहसीलदार बाड़मेर द्वारा नियमानुसार नगर परिषद बाड़मेर के पक्ष मे नामान्तरकरण पारित कर दिया। इस प्रकार रेस्पोडेंट्स द्वारा की गई सम्पूर्ण कार्यवाही नियमानुसार एवं विधिसम्मत हैं जिसमें किसी प्रकार की कोई विधि या तथ्य की भूल नही की गई हैं। अतः अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन एवं आधारहीन तथ्यों पर आधारित होने से खारिज योग्य हैं जो खारिज फरमाई जावें।

5. हमने दोनो पक्षों के अधिवक्ताओं द्वारा किये गये अभिकथनों पर मनन किया एवं प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया। जिससे यह पाया जाता है कि ग्राम बाड़मेर बाड़मेर आगोर के खसरा नम्बर 2065 की रकबा 38–07 बीघा भूमि गंगाराम पुत्र तुलछाराम व अन्य के नाम से खातेदारी मे दर्ज थी। इस भूमि का मौके पर अकृषिक प्रयोजन से उपयोग होने की स्थानीय जांच रिपोर्ट के आधार पर रेस्पोडेंट सं. 1 प्राधिकृत अधिकारी एवं आयुक्त नगर परिषद बाड़मेर ने धारा 90ए के तहत स्वप्रेरणा से समाचार पत्रों मे नोटिस दिनांक 10.05.2013 प्रकाशित करते हुए उक्त भूमि मे हित रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति को सूचित किया कि इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन दिवस के भीतर–भीतर कारण बताऐं कि क्यों न उक्त भूमि पर उसके अधिकारों और हित को पर्यावसित कर दिया जावें और इसलिए क्यों न भूमि को राज्य सरकार में समस्त विल्लंगमों से मुक्त निहित किया जावें। इस नोटिस के प्रकाशन के पश्चात विहित अवधि के भीतर किसी भी खातेदार अथवा हितधारी की ओर से उजरदारी प्रस्तुत नहीं होने पर अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.08.2013 के द्वारा भूमि नगर परिषद बाड़मेर के नाम दर्ज करने का निवेदन तहसीलदार बाड़मेर को किया गया हैं तथा तहसीलदार बाड़मेर ने इसके अनुसरण मे नामान्तरकरण सं. 2951 पारित कर दिया। अपीलार्थीगण के अधिवक्ता का कथन हैं कि अपीलार्थीगण द्वारा अपनी भूमि का अकृषिक प्रयोजनार्थ उपयोग नहीं किया गया हैं बल्कि वे इस पर काश्त कार्य कर रहे हैं। इस संबंध मे तहसीलदार बाड़मेर से विवादित भूमि के मौका–कब्जा की रिपोर्ट तलब की गई, जिसके द्वारा अवगत कराया हैं कि विवादित भूमि मे से 11–00 बीघा भूमि मौके पर प्लाटिंग कर निर्माण किया जाना पाया गया हैं तथा शेष भूमि खाली हैं जिस पर अपीलार्थीगण का निवास एवं मकान बने हुए

जिला कलक्टर
बाड़मेर

हैं। इससे स्पष्ट हैं कि अपीलार्थीगण की खातेदारी भूमि का विधिवत रूप से संपरिवर्तन कराये बिना मौके पर प्लाटिंग काटकर निर्माण किया गया हैं जिसके लिये धारा 90ए के तहत खातेदारी अधिकार पर्यवसनीय है तथा इस हेतु रेस्पोडेंट्स द्वारा की गई कार्यवाही हमारे मत से पूर्णतया विधिसम्मत हैं। ऐसे मे अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत यह अपील सारहीन एवं आधारहीन तथ्यों पर आधारित होने से खारिज योग्य हैं।

6. अतः उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के परिणाम स्वरूप अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत यह अपील सारहीन एवं आधारहीन तथ्यों पर आधारित होने से खारिज की जाकर अपीलाधीन आदेश यथावत बहाल रखे जाते हैं।

निर्णय आज दिनांक 27.08.2019 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(हिमांशु गुप्ता)
जिला कलक्टर, बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर